RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितंबर
29
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज / Natural gas discovery in the Andaman Basin

संदर्भ:

भारत ने अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की पुष्टि की है, जहां परीक्षण में 87 प्रतिशत मीथेन पाई गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज:

- **स्थान और गहराई:**
  - गैस श्री विजयपुरम-2 कुएं में मिली।
  - यह कुआं अंडमान तट से 17 किमी दूर स्थित है।
  - **पानी की गहराई**: 295 मीटर।
  - **कुएं की खुदाई गहराई**: 2,650 मीटर।
- **गैस का परीक्षण:**
  - शुरुआती टेस्ट (2,212–2,250 मीटर गहराई पर) में प्राकृतिक गैस और फ्लेयरिंग पाई गई।
  - काकीनाडा भेजे गए सैंपल में 87% मीथेन (methane) की पुष्टि हुई।
- **महत्व और भविष्य की योजना:**
  - गैस पूल का आकार और व्यावसायिक उपयोगिता आने वाले महीनों में तय होगी।
  - यह खोज इस विश्वास को मजबूत करती है कि अंडमान बेसिन गैस-समृद्ध है, जैसे म्यांमार और इंडोनेशिया में मिला है।

राष्ट्रीय स्तर पर महत्व:

- यह खोज प्रधानमंत्री मोदी के "राष्ट्रीय गहरे पानी की खोज मिशन (Samudra Manthan)" से जुड़ी है।
- उद्देश्य:
  - ऑफशोर बेसिन में तेल और गैस की खोज बढ़ाना।
  - भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Energy Self-Reliance) की दिशा में तेज़ी लाना।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- **ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security):**
  - भारत अभी 88% कच्चा तेल और 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है।
  - प्रमुख LNG आयातक देश: कतर, अमेरिका, यूएई।
  - अंडमान में मिली खोज आयात निर्भरता को घटाने में मदद करेगी।
- **आर्थिक और औद्योगिक असर:**
  - लक्ष्य: 2030 तक ऊर्जा मिश्रण (Primary Energy Basket) में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% करना (वर्तमान में ~6%)।
  - यह खोज भारत के Gas-Based Economy विज़न को मजबूत करती है।

- **भूरणनीतिक लाभ:**
  - अंडमान बेसिन, **म्यांमार से इंडोनेशिया तक फैले ऊर्जा-समृद्ध कॉरिडोर** में स्थित है।
  - इससे भारत की स्थिति **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में और मजबूत होगी।

सरकारी पहल (Government Initiatives):

HELP (Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy), 2016-

- खोज और उत्पादन के लिए एकीकृत लाइसेंस।
- Open Acreage Licensing Policy (OALP) की शुरुआत।

National Deep Water Exploration Mission: ऑफशोर भंडारों का उपयोग करने के लिए गहरे पानी के कुओं की खुदाई पर जोर।

National Data Repository & National Seismic Program: खोजकर्ताओं के लिए डेटा एक्सेस और सर्वे को बेहतर करना।

FDI Policy: प्राकृतिक गैस क्षेत्र में **100% FDI** की अनुमति।

निष्कर्ष: अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की यह खोज भारत की क्षमता को पेट्रोब्रास, बीपी इंडिया, शेल और एक्सॉनमोबिल जैसी वैश्विक डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन कंपनियों के साथ साझेदारी करने में और मजबूत बनाएगी। यह खोज न केवल भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएगी बल्कि अमृत काल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी साबित होगी।

निजी क्षेत्र से कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अनुसंधान एवं विकास पर सर्वेक्षण स्थगित / Survey on R&D Postponed Due to Weak Response from Private Sector

संदर्भ:

निजी रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) कंपनियों से कमजोर प्रतिक्रिया मिलने के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST), जो भारत में वैज्ञानिक शोध की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण करता है, अपनी रिपोर्ट के प्रकाशन को टालने जा रहा है।

2023 सर्वे के निष्कर्ष (Findings of the 2023 Survey):

- 2020–21 में भारत ने अपने **GDP का केवल 0.64%** वैज्ञानिक शोध (Scientific Research) पर खर्च किया।
- यह 1996 के बाद से सबसे कम है (रक्षा अनुसंधान को छोड़कर)।
- विकसित औद्योगिक देश जैसे **अमेरिका, चीन, जापान, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी** R&D पर **1.5% से 3.5% GDP** खर्च करते हैं।
- भारत में R&D खर्च का **लगभग 75% सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector)** से आता है, जबकि विकसित देशों में **निजी कंपनियाँ** सबसे अधिक योगदान करती हैं।

भारत को R&D में अधिक निवेश की जरूरत क्यों है?

- **आर्थिक विकास:** नए उद्योगों का विकास, उत्पादकता में सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त।
- **तकनीकी प्रगति:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सफलता।
- **सामाजिक चुनौतियाँ:** गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान।
- **रोज़गार सृजन:** नवाचार से नए रोजगार और उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा।
- **वैश्विक पहचान:** विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व स्थिति।
- **निवेश आकर्षण:** अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।

सर्वे की कार्यप्रणाली (Survey Methodology):

- **डेटा संग्रह:** संस्थानों को विस्तृत प्रश्नावली (Detailed Questionnaires) भेजकर जानकारी जुटाई गई।
- **गोपनीयता:** कंपनियों/संस्थानों की पहचान छुपाई गई, लेकिन डेटा से समग्र रुझान सामने आए।
- **मुख्य पहलू (Key Aspects Covered):**
  - भारत में घरेलू R&D खर्च
  - GDP में R&D का हिस्सा
  - वैज्ञानिकों का जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल- जैसे लैंगिक अनुपात
  - पेटेंट और नवाचार उत्पादन
  - भारत की वैश्विक स्थिति

अनुसंधान और नवाचार में सरकारी पहल:

1. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना-

- **₹1 लाख करोड़ का कोष** स्वीकृत।
- उद्देश्य: निजी क्षेत्र के **R&D** और **डीप-टेक स्टार्टअप्स** को बढ़ावा।
- सहायता के रूप:
  - लंबी अवधि के कम/शून्य ब्याज वाले ऋण
  - इक्विटी निवेश
  - **अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन (ANRF)** के माध्यम से डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स

2. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023–31)-

- आवंटन: **₹6,003.65 करोड़**
- लक्ष्य: वैज्ञानिक और औद्योगिक **R&D** के जरिए **क्वांटम टेक्नोलॉजी** को बढ़ावा।

3. अटल नवाचार मिशन (AIM)-

- उद्देश्य: **ग्रासरूट स्तर** पर नवाचार को बढ़ावा।
- लाभार्थी: विद्यार्थी, स्टार्टअप्स और उद्यमी।

4. उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:

- फोकस: **कृषि अनुसंधान प्रणाली** को मजबूत करना।
- लक्ष्य: उच्च उपज देने वाले, कीट-प्रतिरोधी और **जलवायु अनुकूल बीजों** का विकास।
- संबंध: **कृषि बायोटेक्नोलॉजी** में DBT की पहल को सहयोग।

5. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):

- जुड़ा हुआ: **बायोE3 पॉलिसी** से।
- उद्देश्य: **हाई-परफॉर्मेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग** को प्रोत्साहन।
- फोकस: **टेक्नोलॉजी विकास** और **व्यावसायीकरण** में तेजी।

6. सीवीड मिशन और लर्न एंड अर्न प्रोग्राम:

- महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना।
- **आर्थिक समावेशन** और रोजगार सृजन को बढ़ावा।

AFSPA का विस्तार मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में किया गया / AFSPA extended in parts of Manipur, Nagaland, Arunachal

संदर्भ:

सैन्य बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को मणिपुर में जारी कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को पूरे राज्य में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि, यह अधिनियम 13 थानों के अधिकार क्षेत्र में लागू नहीं होगा।

AFSPA क्या है?

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) भारत की संसद द्वारा पारित कानून है।

- यह **सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार और कानूनी सुरक्षा** प्रदान करता है।
- लागू क्षेत्र: केवल **"विस्थापित/डिस्टर्ड" क्षेत्र** जहाँ स्थानीय पुलिस के नियंत्रण से बाहर सुरक्षा या विद्रोह की स्थिति होती है।
- उद्देश्य: असामान्य सुरक्षा खतरों और विद्रोह के मामलों में **शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना**।

AFSPA के मुख्य प्रावधान:

1. **क्षेत्र को "डिस्टर्ड" घोषित करना:**
   - केंद्र सरकार, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक किसी क्षेत्र को कम से कम 3 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड घोषित कर सकते हैं।
   - यह **Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976** के तहत होता है।
2. **घातक बल का उपयोग:** अधिकारियों को किसी ऐसे व्यक्ति पर गोली चलाने या बल प्रयोग करने का अधिकार है, जो कानून का उल्लंघन कर रहा हो (जैसे 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा या हथियार ले जाना), **सावधानी देने के बाद**।
3. **वॉरंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी:**
   - सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को **उचित शक** के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं।
   - किसी भी स्थान की तलाशी **वॉरंट के बिना** ली जा सकती है।
4. **संरचनाओं को नष्ट करना:** विद्रोहियों के ठिकानों या प्रशिक्षण शिविरों को सुरक्षा बल नष्ट कर सकते हैं।
5. **कानूनी सुरक्षा:** AFSPA के तहत कार्रवाई करने वाले किसी भी सशस्त्र बल कर्मी पर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती।

AFSPA पर विवाद और बहस-

पक्ष में तर्क:

1. विद्रोह और आतंकवाद से निपटने के लिए आवश्यक।
2. संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में **राष्ट्रीय सुरक्षा** बनाए रखने में मदद।
3. सैनिकों को **कानूनी सुरक्षा** प्रदान करता है।

विरोध में तर्क:

1. मानवाधिकार हनन: कथित **अत्यधिक बल, हत्याएं, यातनाएं और यौन हिंसा**।
2. जवाबदेही की कमी: कानूनी सुरक्षा के कारण कर्मियों पर कार्रवाई कठिन।
3. राजनीतिक और सामाजिक असंतोष: स्थानीय आबादी में **नाराजगी और अलगाव**।
4. उपनिवेशी मूल: ब्रिटिश शासनकाल में लागू कानून का आधुनिक रूप, जिसे **कठोर और पुराना** कहा जाता है।

AFSPA पर समिति की सिफारिशें:

1. जस्टिस जीवन रेड्डी समिति (2005):

- AFSPA को **रद्द करने** की सिफारिश।
- सुझाव: आवश्यक प्रावधानों को **Unlawful Activities (Prevention) Act – UAPA** में शामिल किया जाए।

2. संतोष हेगड़े आयोग (2013):

- मणिपुर में AFSPA के **दुरुपयोग** की रिपोर्ट।
- उल्लेख: कई कथित "encounters" **फर्जी** पाए गए।

आगे का रास्ता (Way Forward):

1. अस्पष्ट प्रावधानों में संशोधन कर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
2. मानवाधिकार हनन पर स्वतंत्र निरीक्षण के माध्यम से नियंत्रण सुनिश्चित करना।
3. विद्रोह के मूल कारणों को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना।
4. सुरक्षा आवश्यकताओं और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलित ढांचा स्थापित करना।

ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला / Supreme Court Ruling on Green Cracker

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से अवैध बाजार पर माफिया का कब्ज़ा हो सकता है, जैसा कि पहले बिहार के खनन उद्योग में देखा गया था। हाल ही में अदालत ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में उनकी बिक्री पर रोक बरकरार रखी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुख्य बिंदु-

1. निर्णय का तर्क (Rationale of Decision):

- NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) और PESO (Petroleum and Explosives Safety Organisation) द्वारा अनुमोदित निर्माताओं को ग्रीन क्रैकर्स बनाने की अनुमति।
- शर्त: यह अनुमति कड़ी परिस्थितियों के तहत दी गई है ताकि रोजगार और आजीविका सुरक्षित रहे।

2. प्रतिबंध: निर्माता यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रैकर्स प्रतिबंधित क्षेत्रों में न बेचे जाएं, ताकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण न बढ़े।

3. ग्रीन क्रैकर्स के प्रभाव:

- पारंपरिक क्रैकर्स की तुलना में प्रदूषण कम करते हैं,
- लेकिन फिर भी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर बढ़ा सकते हैं, इसलिए सावधानी आवश्यक।

ग्रीन क्रैकर्स के बारे में:

1. परिभाषा और विकास:

- ग्रीन क्रैकर्स **इको**-फ्रेंडली (पर्यावरण के अनुकूल) फायरक्रैकर्स हैं।
- विकसित किए गए: 2018 में NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) द्वारा, CSIR के तहत।

2. प्रदूषण पर प्रभाव:

- पारंपरिक क्रैकर्स की तुलना में वायु और ध्वनि प्रदूषण 30-40% कम करते हैं।
- **सुरक्षित विकल्प का उपयोग:** पोटैशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम, टॉक्सिक बैरियम नाइट्रेट की जगह।

3. ध्वनि स्तर (Noise Levels)

- **ग्रीन क्रैकर्स:** 100-130 dB
- **पारंपरिक क्रैकर्स:** 160-200 dB

ग्रीन क्रैकर्स के प्रकार:

1. SWAS (Safe Water Releaser)

- **विशेषता:** पानी की भाप छोड़ता है।
- **प्रदूषण पर प्रभाव:** SO_2 और पार्टिकुलेट मैटर में लगभग 30% कमी।

2. SAFAL (Safe Minimal Aluminium)

- **विशेषता:** फ्लैश पाउडर में कम एल्युमिनियम।
- **प्रदूषण पर प्रभाव:** पार्टिकुलेट मैटर में 35-40% कमी।

3. STAR (Safe Thermite Cracker)

- **विशेषता:** KNO_3 और सल्फर का कम उपयोग।
- **प्रदूषण पर प्रभाव:** SO_2 और NOx उत्सर्जन में कमी।

ग्रीन क्रैकर्स से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलू:

1. आंशिक प्रदूषण कम होना:

- PM2.5, PM10, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स 30-40% तक कम होते हैं।
- लेकिन UFP (Ultrafine Particles) उत्सर्जन काफी बढ़ जाता है, जो अधिक खतरनाक है।

2. अल्ट्राफाइन कण (UFP – PM1)

- ग्रीन क्रैकर्स **उच्च मात्रा में UFP** छोड़ते हैं।
- आकार: **1 माइक्रोन = 1000 नैनोमीटर**।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: फेफड़ों, ऊतकों और रक्तप्रवाह तक पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

3. ध्वनि नियंत्रण की सीमाएं:

- ध्वनि उत्सर्जन **120 डेसिबल** के नीचे रखा गया है।
- लेकिन UFP के कारण पर्यावरण सुरक्षा पूरी नहीं होती।

4. आर्थिक और परिचालन चुनौतियां:

- ग्रीन क्रैकर्स **अधिक महंगे** हैं।
- उत्पादन में अधिक **समय लगता है** और सुखाने में लंबा समय।

भारत के अटॉर्नी जनरल / Attorney General of India

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी का कार्यकाल भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दो साल के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।

भारत के अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) के बारे में:

1. परिभाषा और संविधानिक आधार:

- भारत के अटॉर्नी जनरल (AGI) सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार हैं।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 76 के तहत।

2. मुख्य कार्य और भूमिका:

- केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में सभी मामलों में जहां सरकार पक्षकार हो।
- संसद की बहसों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते।

3. नियुक्ति और अवधि:

- नियुक्ति: **राष्ट्रपति द्वारा**।
- अवधि: **राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार** (निश्चित कार्यकाल नहीं)।

4. योग्यता: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य होना चाहिए, अर्थात्:

- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, या
- कम से कम **10 वर्षों तक वकील** रहे हों, या
- राष्ट्रपति के अनुसार **प्रसिद्ध विधिवेत्ता (eminent jurist)** हों।

H3N2 फ्लू / H3N2 Flu

संदर्भ:

दिल्ली-एनसीआर में एच3एन2 इंफ्लूएंजा ए का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद में बड़ी संख्या में मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि समय पर इलाज न किया जाए तो यह संक्रमण लंबे समय तक बना रह सकता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है।

H3N2 के बारे में:

1. परिभाषा: H3N2, **इन्फ्लूएंजा A वायरस** का एक उपप्रकार है।

- मुख्य रूप से **50 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम उम्र** के लोगों को प्रभावित करता है।

2. संक्रमण का तरीका:

- **सांस से फैलने वाले कण** और **संक्रमित सतहों** के माध्यम से।
- **भीड़ वाले स्थानों** जैसे स्कूल और नर्सिंग होम में जोखिम अधिक।

3. वैक्सीन की प्रभावकारिता: सतही प्रोटीन (surface proteins) में **बार-बार उत्परिवर्तन** होने के कारण, वैक्सीन कम प्रभावी हो सकती है।

4. लक्षण (Symptoms):

- अचानक **उच्च बुखार और ठंड लगना**
- गले में खराश, सिरदर्द, **मांसपेशियों और शरीर में दर्द**
- थकान, पेट दर्द
- कभी-कभी **जीआई लक्षण** जैसे मतली और दस्त

5. उपचार (Treatment):

- आम तौर पर **घर पर आराम, हाइड्रेशन, और लक्षणात्मक देखभाल** (steam inhalation, गरारे)।
- उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए **एंटीवायरल दवा Oseltamivir**
  - **लक्षण शुरू होने के 48 घंटे के भीतर** दी जाती है
  - बीमारी की अवधि और जटिलताओं को कम करने में मदद करती है

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
Baaten Bazaar ki
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

Invest in Knowledge | Grow Your Wealth

Course fee

₹1999/-

COURSE VALIDITY
1 YEAR

एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

FREE

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

EMI AVAILABLE

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR